प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

विषय :– भूमि विवाद को लेकर अनावेदकगण द्वारा आवेदक के उपर जानलेवा हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने, आगे आवेदक को जान से मारकर फेंक देने पर अमादा होने की शिकायत तथा आवेदक को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र।

आवेदक :– छांगुर प्रसाद आ0 स्व0 अयोध्या प्रसाद साहू, उम्र लगभग–73 वर्ष, पेशा–कृषि, निवासी ग्राम–बड़सरा, थाना व तहसील–मैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

अनावेदकगण :–
1. सुनिल साहू आ0 पहलवान, उम्र लगभग–40 वर्ष पेशा–भारतीय जनता पार्टी, मण्डल–मैयाथान, मण्डल अध्यक्ष,
2. सुशील साहू आ0 पहलवान, उम्र लगभग–45 वर्ष, पेशा–कृषि
3. पहलवान साहू आ0 दशरथ साहू, उम्र लगभग–65 वर्ष, पेशा–कृषि
4. रामहित साहू आ0 बृजमोहन, उम्र लगभग–66 वर्ष, पेशा–कृषि
5. अरविन्द साहू आ0 रामहित साहू, उम्र लगभग–42 वर्ष, पेशा–कृषि
6. रामप्रसाद साहू आ0 दशरथ साहू, उम्र लगभग–58 वर्ष, पेशा–कृषि
7. बृजेश आ0 रामप्रसाद साहू, उम्र लगभग–32 वर्ष, पेशा–नौकरी, नगर सैनिक चौकी–बसदेई
8. दिपेश आ0 रामप्रसाद साहू, उम्र लगभग–28 वर्ष, पेशा–कृषि
9. सेवक आ0 बृजमोहन साहू, उम्र लगभग–52 वर्ष, पेशा–ग्राम सचिव, ग्राम–शिवप्रसादनगर/भंवराही
10. चन्दर आ0 दशरथ, उम्र लगभग–70 वर्ष, जाति–तेली पेशा–कृषि,
11. विजय कुमार आ0 चन्दर साहू, उम्र लगभग–36 वर्ष, जाति–तेली, पेशा–कृषि, क्र0–01 से 11 तक सभी निवासी ग्राम–बड़सरा, थाना व तहसील–मैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)
12. राजकुमार आ0 अज्ञात, उम्र लगभग–35 वर्ष, पेशा–बंधवा मजदूर, निवासी ग्राम–खाड़ापारा, थाना व तहसील–मैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन प्रस्तुत किया जाता है :–

क्रमशः .......

छांगुर प्रसाद

1. यह कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही ग्राम–बड़सरा के निवासी हैं। मात्र अनावेदक क्र0–10 राजकुमार अनावेदकगण के पास 10 वर्षों से बंधवा मजदूर है।

2. यह कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम–बड़सरा में स्थित है, जिसका ख0नं0–1555/1 रकबा 0.40 आरे, 1557/2 रकबा 0.11 आरे, 1558 रकबा 0.09 आरे भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन भी आवेदक द्वारा कराया गया है। उक्त भूमि को अनावेदकगण अपना होना कहकर हड़पना चाहते हैं।

3. यह कि अनावेदक क्र0–01 एक चालू किस्म का व्यक्ति है तथा कानूनी दांव–पेंच में माहिर व्यक्ति है तथा भारतीय जनता पार्टी भैयाथान ब्लाक का फद्देवार नेता है तथा वर्तमान में भैयाथान का मण्डल का अध्यक्ष भी है।

4. यह कि अनावेदक क्र0–01 ने दिनांक को शेष अनावेदकगण द्वारा तलवार एवं लाठी–डंडा से प्राण घातक हमला करवाया था जिससे आवेदक का दाहिना हाथ टूट गया तथा बायां हाथ टांगी से मारने से कट गया है, जिसका मुलाहिजा एवं एक्सरे भी किया गया है।

5. यह कि आवेदक की और भूमि सम्मिलात खाता में है, जिसका ख0नं0 1528/3 रकबा 0.02 और 1529 रकबा 0.19 आरे है उसका भी सीमांकन कर आपस में समझौता कर आवेदक को कब्जा दिया गया और आपसी सहमति के आधार पर वर्तमान समय तक आवेदक का ही उक्त भूमि पर निरंतर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है।

6. यह कि खसरा नं0 1555/1 रकबा 0.40 आरे भूमि पर 10 दिन पूर्व आवेदक अपने परिवार एवं नौकर–चाकरों के साथ जोताई करने गया तो अनावेदक सेवक की पत्नी गालीगलौज करने लगी की हमारे खेत मत जोतो, तब आवेदक के बड़े भाई बिजेन्द्र प्रसाद साहू के पास गये और कहे कि आवेदक के खेत में चल कर सेवक की पत्नी को गालीगलौज करने से रोके, तो बिजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आवेदक के नाम पर भूमि है तो क्यों रोक रही हो और क्यों गालीगलौज कर रही है। इतना सुनकर सेवक की पत्नी बोली कि अपना बहरा खेत आवेदक को क्यों नहीं दे देते हैं। तब बिजेन्द्र प्रसाद ने सेवक जो ग्राम सेवक है को फोन लगाया कि सेवक की पत्नी खेत आवेदक को क्यों नहीं जोतने देती है, तुम उसे नहीं बताए हो क्या। तब सेवक ने कहा कि मैं मना करता हूँ तो नहीं मानती है। जब सेवक आया तो आवेदक को जोताई करने दिया। जब सुबह हुआ

क्रमशः ........

छबकुर प्रसाद

तो रामहित साहू आ0 बृजमोहन अपना ट्रेक्टर ले आकर लबड़ी चलाया, फिर आवेदक खेत में जाकर देखा तो लबड़ी चलाया हुआ था, जिस पर आवेदक ने सेवक साहू से कहा कि तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो तो आवेदक ने सेवक साहू से कहा कि तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो तो कहा कि जरई धान बोया हूँ। उसके बाद में अपने घर चले गये।

7. यह कि दूसरे दिन आवेदक बिजेन्द्र साहू के घर में जाकर बोला कि एक भाई उक्त भूमि पर आवेदक से जोताई करवा दिया और दूसरा भाई लबड़ी चला दिया। अब मैं क्या करूँ, अब बीज कहाँ ले जाउँ और कैसे करूँ, तो बिजेन्द्र साहू ने कहा कि ठीक है मैं शाम को सुनिल साहू को बुलाता हूँ वहीं घर का मुखिया है। उसके बाद 15 दिन हो गया परंतु मिटिंग नहीं कराया। फिर मैं सरपंच को कहा कि मुझे सुबह रोपा लगाना है, अनावेदकगण को ग्राम पंचायत में बुलाओ तो ग्राम पंचायत में सुनिल आया और बोला कि आपस का मामला है शाम को मिटिंग घर में ले लेंगे। उसके बाद मैं नहीं गया क्योंकि मुझे अनावेदकगण द्वारा मारपीट करने का डर था।

8. यह कि ख0नं0 1532/1 रकबा 0.40 आरे में से /3 क्यारी खेत में एक क्यारी में खाद डालकर दूसरी अर्थात बीच की क्यारी में नीचे झुककर खाद छिड़क रहा था इतने में ही अनावेदकगण योजना बनाकर लाठी–डंडा व टांगी लेकर आये और आवेदक की पत्नी अनावेदकगण को देख आवाज दी कि वहां से भागो, उतने में ही सुशील एवं उसके पीछे रामप्रसाद लाठी लेकर, दीपेश टांगी लेकर आये और साथ में राजकुमार भी लाठी लेकर आया। दीपेश टांगी से बायें तरफ से सिर में मार रहा था तो मैं बचने के लिए बांये हाथ से टांगी को रोका तो टांगी से बायां हाथ की कान्ही उंगली कट गया। उसके बाद रामप्रसाद दाहिना हाथ में डण्डा से मारा और राजकुमार लाठी से मारा तो मैं बेहोश होकर गिर गया, तो आवेदक को देखकर अनावेदकगण भागना चालू किये, उसी समय मेरा ड्राईवर बिरेन्द्र यादव पत्नी सुशीला बाई तथा नौकर लोग बचाओ–बचाओ करके हल्ला किये, तब जाकर मेरी जान बची।

9. यह कि अनावेदकगण के भागने के बाद मुझे मेरा ड्राईवर मोटरसायकल से करौंदामुड़ा अनावेदकगण के डर से दूसरे रास्ते से घर लाया। उसके बाद दिन 11.30 बजे मारपीट होने एवं 12.00 बजे तक घर में आने के बाद मेरा पुत्र थाना भैयाथान चार चक्का गाड़ी में से ले गया। रिपोर्ट करने के बाद आवेदक को शासकीय अस्पताल ले गये। उसके बाद मेरा ईलाज हुआ। वहां के डॉक्टर ने आवेदक को जिला अस्पताल सूरजपुर में रेफर किया, वहां आवेदक का ईलाज हुआ और एक्सरे हुआ। सूरजपुर से बैकुण्ठपुर अस्पताल

क्रमशः .......

छबिलाल प्रसाद

रात में 10 बजे पहुँचे और ईलाज किये।

10. यह कि उसके बाद अनावेदक क्र0–01 सुनील साहू ग्रामवासियों रामू गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का नेता, रामहित साहू, करमन सिंह, बाबुलाल चक्रधारी, राम साहू, शिवलाल साहू, सालिकराम साहू, राजेन्द्र सारथी, संतलाल चक्रधारी, रामबली यादव, प्रमिला यादव, पुन्नेलाल आ0 कैराराम हरिजन को दिनांक 21/07/2025 को भैयाथान ले जाकर मिडिया के समक्ष ले जाकर शिकायत कराया।

11. यह कि ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का पूरा परिवार के लोग गिरोह बनाकर तथा अनावेदक क्र0–01 भारतीय जनता पार्टी का लीडर होने से ग्रामवासियों को अपने पक्ष में कराकर आवेदक तथा उसके परिवार को जान का खतरा है तथा ग्राम में शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार अनावेदक सुनील साहू आवेदक की भूमि को लेकर त्रुटि सुधार के संबंध में विवाद करता है तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर की भूमि जो त्रुटि सुधार की गई उसका विवाद नहीं बताता है।

12. यह कि अनावेदकगण आवेदक तथा उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक एवं उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अपने बंधवा मजदूर राजकुमार द्वारा आ0जा0क0 थाना में झूठी रिपोर्ट करता है और फंसाने की धमकी देता है। सेवक साहू एक शासकीय सेवक होने के बावजूद भी बंधवा मजदूर द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दे रहा है और जान से मार कर गाड़ देने की धमकी देता है।

अस्तु: श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं बिन्दुओं के प्रकाश में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अनावेदकगण के विरूद्ध उचित दाण्डिक कार्यवाही करते हुए आवेदक को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें।

हस्ता0 आवेदक

दिनांक–22/07/2025

मो0नं0:- 9770932123